

29.7.25

कमीशन द्वारा प्रेषित ककुलाय पत्रिका
दिनांक 11 अक्टूबर 1981 को प्राप्त पोस्टल
ऑर्डर नं. 1 को देकर प्रोसेसल में पेश है।
यस में अतः पत्रिका का नाम — यहाँ
दिनांक 29/07/25 को पेश है।

29.09.25

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय पत्रकारान उषा वास्ते
जवाब एवं शेष की तलवी हेतु पत्रावली दिनांक 28.11.25
को पेश है।

25.11.25

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय पत्रकारान उषा वास्ते
जवाब एवं शेष की तलवी आवश्यक रूप से क्यूरी
जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.26 को पेश है।

31.01.26

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय पत्रकारान उषा तमील
2 सीट पेश की। प्रति संख्या लगातार 9, 11, 15, 17, 20, 22, 23
पेश करने जवाब व 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24 की
तलवी कक्षाओं को जाने हेतु अन्तिम अवसर दिया जाकर
पत्रावली दिनांक 18.03.26 को पेश है।

18-03-26

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय पत्रकारान उषा प्रति. सं. 13, 14,
16, 18, 19, 21, 24 बाद तमील उपस्थित नहीं आये। अतः इनके
विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लई जाती है। पत्रावली
वास्ते जवाब एवं प्रति. सं. 10, 12 की तलवी हेतु दिनांक 15.03.26
को पेश है।

15.05.26

पत्रावली पेश हुई। ककुलाय पत्रकारान उषा अध्यापी संख्या
10, 12 के डाक स्टैटस पेश किये। बाद तमील कोई उपस्थित
नहीं आया। अतः इनके विरुद्ध कार्यवाही एकपक्षीय
अमल में लई जाती है। अध्यापी सं. लगा. 9, 11, 15, 17, 20, 22,
23 ने कई अवसर के बाद भी जवाब पेश नहीं किया।
अतः इनका जवाब बन्द किया जा रहा है। वही पर उभयपक्ष
अधिवक्ता गण को सुना गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत
वस्तुओं की रिपोर्ट का तलवी भौतिक अवलोकन किया गया।
जिसमें 18 24 नतीजे पर पहुंचे हैं कि विवादित भूमि

नर
अख
दस्ता

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सदर
भाषण
हुक्म की तारीख
म जारी हुए

का आई पीएच एंड लाइव विभाजन नहीं हुआ है
अतः सहकारिता का प्रलेख इस पर कवचात्मक जान
वर्जित है

अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रथम दृष्टया ममला
एवं सुविधा का संलग्न प्रतीति एक में प्रतीत नहीं होता
है।

चूंकि पक्षकारों सहकारिता नहीं है तथा उनके हक
का विचारण दोष में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के
पश्चात् एवं शुभावशुभ के आधार पर ही संकेतित
तक अन्य सहकारिता को अस्थाई निषेधाज्ञा से
पाबन्ध किया जाना उचित नहीं पाए है।

अतः प्राथमिक पत्र प्रतीति अंतर्गत धारा 212 रीति
इसी स्तर पर जारी किया जाता है।

पञ्चावली फेसल शुमार केन्द्र नंबर से कम है,
तथा संलग्न मूल वाप हो।

↓
उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)